समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)
समाहरणालय, बक्सर की बाह्य स्रोत के माध्यम से साफ–सफाई हेतु संशोधित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17 दिनांक 28.11.2008 के आलोक में बक्सर समाहरणालय के आधुनिकीकरण के तहत मुख्य भवन / सभी कार्यालय कक्ष / बक्सर समाहरणालय परिसर की साफ सफाई (झाड़ू, पोछा), पार्क का रख–रखाव, विद्युत रख–रखाव हेतु इच्छुक व्यक्ति / स्वयंसेवी संस्था / फर्म से इस कार्यालय के ज्ञापांक 080528/नजा0 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी। आमंत्रित निविदा के क्रम में वित्तीय निविदा सफल नहीं होने के कारण जिला क्रय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बक्सर समाहरणालय के आधुनिकीकरण के तहत मुख्य भवन / सभी कार्यालय कक्ष / बक्सर समाहरणालय परिसर की साफ सफाई (झाड़ू, पोछा), पार्क का रख–रखाव, विद्युत रख–रखाव हेतु इच्छुक व्यक्ति / स्वयंसेवी संस्था / फर्म से निम्नलिखित शर्तो एवं कार्य विवरणी के तहत मुहर बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निम्नलिखित शर्तो एवं कार्य विवरणी के तहत मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. समाहरणालय भवन एवं परिसर में अवस्थित अन्य सभी भवनों के कमरों में झाड़ू लगाकर पोछा (फिनाइल से) सुबह **9.00** बजे से पहले तक करना होगा।
2. समाहरणालय भवन एवं परिसर के अन्य भवनों में स्थित शौचालय की साफ – सफाई दिन में तीन बार फिनाइल के साथ करना अनिवार्य होगा। साथ हीं सभी सफाई कर्मी कार्यालय अवधि में बने रहेंगें तथा लगातार फर्श की सफाई करते रहेंगें। सफाई क्रर्मी नियमित रूप से वाइपर का भी इस्तेमाल करेंगें।
3. समाहरणालय परिसर अवस्थित सभी सड़कों पर झाड़ू लगाने एवं कूड़ा हटाने का कार्य सुबह नौ बजे से पहले तक सम्पन्न कर लेना होगा। समाहरणालय पार्क में लगे घास तथा पौधो की कटाई – छटाई के अतिरिक्त पार्क का रख–रखाव करना अनिवार्य होगा।
4. समाहरणालय परिसर के अन्तर्गत मुख्य नाला के अतिरिक्त सभी नालों की नियमित सफाई करना होगा।
5. समाहरणालय भवन के बरामदा (नीचे एवं उपर) एवं मुख्य द्वार के अतिरिक्त सभी शौचालयों का दिन में **03** बार झाड़ू – पोछा / साफ–सफाई करना होगा। सप्ताह में एक बार सभी दरवाजा तथा खिडकी को भी साफ करना अनिवार्य होगा।
6. सभी शौचालयों में सफाई के अतिरिक्त नेपथलिन की गोली, हैण्डवास एवं ओडोनील की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार) नियमित रूप से करनी होगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु नियमित रूप से सभी कार्यालय एवं परिसर को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
7. समाहरणालय परिसर / भवन को संक्रमण मुक्त रखना होगा।
8. साफ – सफाई प्रबंधन एवं विद्युत रख–रखाव हेतु निम्नलिखित संख्या में श्रमिक / विद्युत मिस्त्री / प्रबंधक रखना होगा :–

    01- सफाई श्रमिक – 08

    02- माली – 01

    03- विद्युत मिस्त्री – 01

    04- प्रबंधक – 01

सभी सफाई कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। युनिफार्म में नहीं पाये जाने पर मासिक विपत्र से समुचित कटौती कर ली जाएगी। सफल निविदाता के द्वारा समाहरणालय स्थित पार्क का रख – रखाव एवं विद्युत संचालन व्यवस्था का रख – रखाव करना होगा।

9. तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।

01. निविदादाता द्वारा अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से निर्गत 20000.00 (बीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

02. लगातार तीन वर्षो का अद्यतन आयकर रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

03. पैन कार्ड की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित।

04. अद्यतन GST रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

05. कम से कम 1000000.00 (दस लाख रू0 मात्र) का वार्षिक टर्न ओवर चार्टर्ड एकान्डेट से निर्गत स्वअभिप्रमाणित प्रति।

06. संस्था / फर्म का अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

07. सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्था में कार्य अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी। परन्तु कार्य अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

08. संस्था / फर्म का काली सूची में नाम नहीं होने एवं थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र मूल में संलग्न करना होगा।

09. निविदादाता द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. वाहन पार्किंग का रख-रखाव एवं उसके स्वच्छता तथा सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

11. वित्तीय निविदा में निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

01- उपर्युक्त प्रबंधन के सफल संचालन हेतु निविदा में उल्लेखित सभी शर्त्तों को पूरा करने के निमित वित्तीय निविदा में सभी कर सहित सामग्री एवं मजदूरी का पूर्ण विवरण देते हुए न्यूनतम दर अंकित करना होगा, जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दर से कम नहीं होगा। वित्तीय निविदा में मजदूरों का मजदूरी, सामग्री पर होने वाला व्यय अलग – अलग टेबल में अंकित कर कुल योग मासिक दर के रूप में अंकित होगा। उक्त वित्तीय निविदा कम्प्यूटरीकृत टंकित प्रति के रूप में मूल में संस्था / फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को सरकार के द्वारा समय – समय पर श्रमिकों के मजदूरी हेतु निर्धारित न्यूनतम दर के अनुरूप भुगतान करना अनिवार्य होगा।

10 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने पर नियोजक का यह दायित्व है कि वह नियोजित कर्मियों को EPF एवं ISI से जोड़े। नियोजक को कामगार के कुल मासिक वेतन का 12% EPF में जमा करना होगा। जबकि कामगार के मासिक वेतन से 10% EPF में जमा करना होगा। इसी प्रकार ESI के अतर्गत सभी कामगार को जोड़ना होगा।

12. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा कि कार्य में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कट्‌ौती की जा सकेगी एवं आवश्यकतानुसार एकरारनामा रद्द किया जा सकेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् पूर्व की निविदा को स्वतः रद्द समझा जाएगा। सफल निविदादाता के मासिक विपत्र से नियमानुसार GST एवं IT की कटौती की जाएगी।

13. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

14. निविदादाता को साफ-सफाई, रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय का एक मुश्त मासिक दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।

15. निविदा दिनांक 22.07.20 को 01.00 बजे अप० तक प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक 22.07.20 को ही 03.00 बजे अप० में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों / प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

16. समाहरणालय परिसर में स्थित अन्य भवन यथा – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांख्यिकी भवन, सूचना भवन, निर्वाचन भवन, परिवहन, योजना भवन एवं कोषागार भवन की साफ – सफाई पर होने वाले व्यय निर्धारित दर के अनुपातिक क्षेत्रफल के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

17. तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता देने के बिन्दु पर जिला क्रय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट **www.buxar.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

अमन समीर,भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी,
बक्सर